रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2009/ज्येष्ठ 4, 1931
No. 301] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2009/JYAISTHA 4, 1931

रक्षोपाय, सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय

रक्षोपाय जाँच की शुरुआत की सूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2009

[सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

विषय : अपरिष्कृत अल्यूमीनियम, अल्यूमीनियम अपशिष्ट एवं अल्यूमीनियम स्क्रैप के आयातों के बारे में रक्षोपाय जाँच की शुरुआत ।

सा.का.नि. 356(अ).— मै. अल्यूमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बंगलौर द्वारा भारत में अपरिष्कृत अल्यूमीनियम, अल्यूमीनियम अपशिष्ट एवं अल्यूमीनियम स्क्रैप के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान तथा निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है ताकि भारत में उक्त उत्पाद के संवर्धित आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति से घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा की जा सके ।

2. घरेलू उद्योग : भारत में अपरिष्कृत अल्यूमीनियम, अल्यूमीनियम अपशिष्ट एवं अल्यूमीनियम स्क्रैप के संवर्धित आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए यह आवेदन मै. नाल्को इंडिया लि., भारत अल्यूमीनियम कं. लि., मद्रास अल्यूमीनियम कं. लि. तथा हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लि. की ओर से अल्यूमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बंगलौर द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियों का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है ।

3. शामिल उत्पाद : वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद "अध्याय 7601 तथा 7602 के अंतर्गत आने वाले अपरिष्कृत अल्यूमीनियम, अल्यूमीनियम अपशिष्ट एवं अल्यूमीनियम स्क्रैप उत्पाद हैं चाहे वे मिश्रधातु के हों या नहीं उन्हें इस पत्र में कथित उत्पाद के नाम से जाना गया है । विचाराधीन उत्पाद अनेक रूपों में हो सकता है जिनमें इनगॉट्स, बिलेट्स, तार की छड़ें और तार की रॉडें शामिल हैं । अपरिष्कृत अल्यूमीनियम के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद या उक्त उत्पाद के दायरे में आते हैं जिन्हें इस पत्र में अपरिष्कृत अल्यूमीनियम के नाम से जाना गया है ।"

आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित और आपूर्त वस्तु विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संबंध में विभिन्न देशों से आयातित वस्तु से तुलनीय है । आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित वस्तु के समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु है ।

घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु अल्यूमीनियम अपशिष्ट या स्क्रैप से सीधे प्रतिस्पर्धा करती हैं । यह दावा उत्पाद की विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, कीमत पर आधारित है । आवेदकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और आपूर्त वस्तु तथा भारत में आयातित अपशिष्ट एवं स्क्रैप तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है ।

उत्पाद का सौदा या तो भार के आधार पर (कि.ग्रा. या मी. टन) किया जाता है । उत्पाद का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मोटाई या चौड़ाई में किया जाता है ।

4. **संवर्धित आयात :** अक्तूबर, 2008 तक की अवधि के लिए डीजीसीआई एण्ड एस और परवर्ती अवधि के लिए इंटरनेशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज (आईबीआईएस) से संकलित सूचना के आधार पर आवेदकों ने यह दर्शाया है कि " उक्त उत्पाद " के आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में निम्नलिखित तालिका के अनुसार वृद्धि हुई है : -

	आयात की कुल मात्रा मी. टन	प्रति माह आयात मी. टन	भारतीय उत्पादन मी. टन	प्रति माह भारतीय उत्पादन मी. टन	भारतीय उत्पादन की तुलना में आयात % में
2006-07	357378	29782	920666	76722	38.82
2007-08	395957	32996	1001179	83432	39.55
अप्रैल- सित., 08	231793	38632	517314	86219	44.81
अक्तू.- दिस., 08	85170	28390	273854	91285	31.10
जन. - मार्च-09	131858	43953	265119	88373	49.74

आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना से यह पता चलता है कि " उक्त उत्पाद " का आयात विभिन्न देशों से किया जा रहा है । संवर्धित आयातों का पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद है जिससे जाँच की शुरूआत न्यायोचित बनती है ।

5. **गंभीर क्षति :** आवेदकों ने दावा किया है कि " उक्त उत्पाद " के संवर्धित आयातों के कारण समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु अर्थात् अपरिष्कृत अल्यूमीनियम, अल्यूमीनियम अपशिष्ट एवं अल्यूमीनियम स्क्रैप के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और उसका खतरा उत्पन्न हो रहा है । गंभीर क्षति होने का दावा आवेदक कंपनियों के निष्पादन से संबंधित निम्नलिखित कारकों की वजह से किया गया है ।

क) उत्पादन : आवेदकों द्वारा उक्त उत्पाद का उत्पादन अप्रैल-सित., 2008 के दौरान 86219 मी. टन से बढ़कर अक्तूबर-दिसंबर, 2008 में 91285 मी. टन हो गया और जनवरी, 09 से मार्च, 09 की तिमाही के दौरान घटकर 88373 मी. टन हो गया जैसा कि निम्नलिखित तालिका से पता चलता है । तथापि, महत्वपूर्ण कारक यह है कि भारी क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद उत्पादन में गिरावट आई जबकि दूसरी ओर बढ़ती हुई माँग को संवर्धित आयात ने पूरी तौर पर हड़प लिया जैसाकि आयातों के संवर्धित बाजार हिस्से से देखा जा सकता है जो जनवरी-मार्च, 2009 के दौरान 49.74% से घटकर अक्तूबर-दिसंबर, 2008 की तिमाही के दौरान घटकर 31.10% हो गया । संवर्धित आयातों के कारण एक कम्पनी अर्थात् मै. मद्रास अल्यूमीनियम कं. लि. ने दिसंबर, 08 से अपना संयंत्र बंद कर दिया है ।

(मी. टन में)

अवधि	अवधि के लिए उत्पादन	मासिक उत्पादन	क्षमता	भारत में माँग
2006-07	920666	76722	1214000	1024259
2007-08	1001179	83432	1235000	1191096
अप्रैल- सित., 08	517314	86219	645000	631837
अक्तू.- दिस., 08	273854	91285	326752	258958
जन. - मार्च-09	265119	88373	331542	361206

ख) **क्षमता उपयोग :** आवेदकों का क्षमता उपयोग अक्तूबर-दिसंबर, 2008 की तिमाही में 83.81% से घटकर जनवरी-मार्च, 2009 की तिमाही में 79.97% हो गया जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है ।

अवधि	क्षमता उपयोग (%)
2006-07	75.84
2007-08	81.07
अप्रैल- सित., 08	80.20
अक्तू.- दिस., 08	83.81
जन. - मार्च-09	79.97

आवेदकों ने दावा किया है कि उनके क्षमता उपयोग में उस स्थिति में गिरावट आई है जब उत्पाद की माँग बढ़ी है । यदि आयातों में वृद्धि नहीं हुई होती तो घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट नहीं आई होती ।

ग) **घरेलू खपत में आवेदकों का हिस्सा :** आवेदकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई । अक्तूबर-दिसंबर, 2008 की तिमाही में आवेदकों का बाजार हिस्सा 67.11% था जो जनवरी-मार्च, 2009 की तिमाही में घटकर 63.50% हो गया जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है ।

अवधि	घरेलू माँग में आवेदकों का हिस्सा (%)
2006-07	65.11
2007-08	66.76
अप्रैल- सित., 08	63.31
अक्तू.- दिस., 08	67.11
जन. - मार्च-09	63.50

घ) **घरेलू बिक्रियों पर लाभप्रदता-** घरेलू बिक्रियों पर लाभ में पर्याप्त गिरावट आई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है । जो उद्योग अप्रैल-सितंबर, 08 की अवधि के दौरान 36849 रू. प्रति मी. टन का लाभ कमा रहा था वह जनवरी-मार्च, 09 की तिमाही में 4990 रू./ मी. टन के घाटे में आ गया ।

अवधि	घरेलू बिक्री पर लाभ/ (हानि) प्रति मी. टन	सूचीबद्ध
2006-07	49,963	100

2007-08	31,224	62
अप्रैल- सित., 08	36,849	74
अक्तू.- दिस., 08	5,149	10
जन. - मार्च-09	(6,707)	(13)

ङ.) **निवेश पर आय-** निवेश पर आय में वही प्रवृत्ति रही जैसी कि लाभप्रदता के संबंध में रही थी । जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है ।

अवधि	निवेश पर आय (%)	सूचीबद्ध
2006-07	50.95	270
2007-08	40.04	213
अप्रैल- सित., 08	46.15	245
अक्तू.- दिस., 08	6.14	33
जन. - मार्च-09	(8.16)	(43)

च) **घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट-** जनवरी-मार्च, 2009 में घरेलू बाजार में बिक्री कीमत में भारी गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है ।

अवधि	बिक्री कीमत (रू./मी. टन)	सूचीबद्ध
2006-07	124,654	100
2007-08	111,531	89
अप्रैल-सित., 08	126,792	102
अक्तूबर, 08	105,388	85
नवम्बर, 08	101,270	81
दिसंबर, 08	92,400	74
जनवरी, 09	84,979	68
फरवरी, 09	80,798	65
मार्च, 09	76,546	61

छ) **सीआईएफ कीमत में गिरावट**

कीमत रू./मी. टन में

वर्ष/अवधि	7601	7602	7601 एवं 7602 का औसत	घरेलू उद्योग
2006-07	122,800	85,975	97,497	124,654
2007-08	109,380	81,738	93,593	111,531
अप्रैल-सित., 08	123,178	81,256	97,017	126,792
अक्तूबर, 08	133,358	101,312	115,020	105,388
नवम्बर, 08	128,184	93,702	109,846	101,270
दिसंबर, 08	126,012	78,154	98,259	92,400
जनवरी, 09	107,460	69,498	87,116	84,979
फरवरी, 09	85,174	60,065	73,763	80,798
मार्च, 09	74,223	56,590	67,140	76,546

यह देखा जाता है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पादकों द्वारा बेची गई वस्तु की कीमत में भारी गिरावट आई है । आवेदकों ने दावा किया है कि घटती हुई आयात कीमत और एलएमई कीमतों को ध्यान में रखते हुए वे आयात कीमत को घटाने के लिए बाध्य हुए हैं । अतः

हाल ही में हुई आयात के मूल्यों में गिरावट आयात के बढ़ने का कारण है तथा इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर भी दबाव पैदा हो गया है जिससे न केवल गंभीर क्षति हुई है परन्तु गंभीर क्षति की आशंका भी बनी हुई है।

ज) **रोजगार की हानि-** संवर्धित आयातों से रोजगार की हानि हो रही है । रोजगार की यह हानि इस तथ्य के बावजूद हुई है कि घरेलू उद्योग के पास देश में श्रम कानूनों के कारण कर्मचारियों को रात भर काम कराने का विकल्प नहीं है ।

अवधि	2007-08	अप्रैल-सित. 08	अक्तू.-08	नव.-08	दिस.-09	जन.-09	फर.-09	मार्च-09
कर्मचारियों की सं.	6,530	6,085	6,076	6,063	6,035	5,725	5,672	5,615

झ) वर्ष 2008-09 के दौरान वैश्विक एलएमई स्टॉक में कई गुना वृद्धि हुई है जो 6-9 लाख मी. टन के सामान्य स्टॉक के स्तर की तुलना में 35 लाख मी. टन से अधिक के स्तर पर पहुँच गया है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है-

माह	एलएमई वैश्विक स्टॉक मी. टन में
दिस. 2005	636,814
दिस. 2006	681,686
दिस. -2007	930,572
अप्रैल-08	1,031,392
मई-08	1,051,946
जून-08	1,078,356
जुलाई-08	1,107,333
अगस्त-08	1,140,949
सित.-08	1,270,985
अक्तू.-08	1,456,917
नव.-08	1,650,023
दिस.-08	2,043,337
जन. -09	2,810,825
फर.-09	3,226,700
मार्च-09	3,477,300

ट) **एलएमई कीमतों में गिरावट-** आवेदकों ने एलएमई की सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु के कीमत के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है । सूचना से कीमत में अत्यधिक गिरावट का पता चलता है जो भारत में किसी उत्पादक के लिए संबद्ध लागत से काफी कम है ।

कीमत में गिरावट निम्नलिखित तालिका से देखी जा सकती है-

1970 GI/09-2

माह	एलएमई मासिक औसत अम. डा./मी. टन
अप्रैल-08	2,959.27
मई-08	2,902.90
जून-08	2,957.86
जुलाई-08	3,071.24
अगस्त-08	2,764.38
सित.-08	2,525.82
अक्तू.-08	2,121.41
नव.-08	1,852.43
दिस.-08	1,490.43
जन. -09	1,413.12
फर.-09	1,330.20
मार्च-09	1,335.84

ठ) आवेदकों ने ऐसी सूचना उपलब्ध कराई है जिससे वैश्विक बाजार में लगभग 72 लाख मी. टन प्रतिवर्ष तक की बड़े पैमाने पर उत्पादन में कटौती का पता चलता है (जो भारतीय उत्पादन की 5 वर्ष से अधिक की सकल भारतीय माँग से काफी अधिक है) । (क) रूटर्स : सीबीआई चीन तथा (ख) सीआरयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर विस्तृत साक्ष्य प्रदान किया गया है ।

ड) गिरती हुई एलएम कीमतों, एलएमई के पास अत्यधिक बेशी मात्रा एवं विभिन्न वैश्विक उत्पादकों द्वारा उत्पादन में अत्यधिक कटौती के आधार पर आवेदकों ने रक्षोपाय शुल्क तुरंत लागू न किए जाने की स्थिति में गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न होने का दावा किया है ।

6. आवेदकों ने उक्त उत्पाद के आयातों पर चार वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है । उन्होंने आपात परिस्थितियों, जिनकी वजह से अपूरणीय क्षति हुई है, के मद्देनजर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को तुरंत लगाने का भी अनुरोध किया है । आवेदकों ने लाभप्रदता, निवेश पर आय, क्षमता उपयोग, बिक्री कीमत में अत्यधिक गिरावट, घरेलू कीमत में गिरावट (जिससे भारी वित्तीय घाटा हुआ है) तथा घरेलू कीमत से कम कीमत पर आयातों के कारण बाजार हिस्से में कमी के आधार पर आपात परिस्थितियों का दावा किया है । आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति में जब उक्त उत्पाद की माँग में वृद्धि प्रदर्शित हुई है, घरेलू उद्योग के पास वर्तमान क्षमताएँ आयातों में वृद्धि के कारण पर्याप्ततः अप्रयुक्त बनी रही हैं ।

7 आवेदन की जाँच की गई है और यह पाया गया है कि जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए उक्त उत्पाद के आयातों में प्रथम दृष्ट्या वृद्धि हुई है और उनसे समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और उसका खतरा उत्पन्न हुआ है । तदनुसार यह उचित माना जाता है कि इस बात का निर्धारण करने के लिए जाँच शुरू की जाए कि क्या उक्त उत्पाद का आयात ऐसी संवर्धित मात्रा तथा ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा उसका खतरा उत्पन्न हो गया है ।

8. **सूचना प्रस्तुत करना-** समस्त हितबद्ध पार्टियाँ इस सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत करा सकती हैं ताकि उन पर अंतिम निर्धारण में महानिदेशक द्वारा विचार किया जा सके ।

महानिदेशक (रक्षोपाय)
भाई वीर सिंह साहित्य सदन, दूसरा तल,
भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट
नई दिल्ली-110001, भारत
टेलीफैक्सः 23741542/23741537
ई-मेलः dgsafeguards@nic.in

यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो महानिदेशक नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

9. समस्त ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से भी लिखा जा रहा है । इस जांच के लिए कोई अन्य पार्टी जो यह चाहती है कि उस पर हितबद्ध पार्टी के रूप में विचार किया जाए, अपने अनुरोध कर सकती है जो इस सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास पहुंच जाना चाहिए ।

[फा. सं. डी-22011/17/2009]
एस. एस. राणा, महानिदेशक (रक्षोपाय)

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE
NOTICE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION

New Delhi, the 22nd May, 2009

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Sub.: Initiation of safeguard investigation concerning imports of Unwrought Aluminium, aluminium waste and aluminium scraps.

G.S.R. 356(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by Aluminium Association of India, Bangalore for imposition of safeguard duty on imports of Unwrought Aluminium, aluminium waste and aluminium scraps into India to protect the domestic manufacturers against serious injury caused by the increased imports of aforesaid product in India.

2. Domestic Industry: The application has been filed by Aluminium Association of India, Bangalore on behalf of M/s. Nalco India Ltd., Bharat Aluminium Company Ltd., Madras Aluminium Company Ltd., and Hindalco Industries Ltd. for imposition of Safeguard Duty on the increase imports of Unwrought Aluminium, aluminium waste and aluminium scrap into India. The applicants account for a major share of the Indian production.

3. Product Involved: The product involved in the present investigation and being imported into India is "unwrought aluminium, aluminium waste and aluminium scrap, whether or not alloyed", falling under Chapter 7601 and 7602, hereinafter referred as "said product". The product under consideration can be in a number of forms, which include ingots, billets, wire bars and wire rods. All forms of unwrought aluminium are within the scope of the product under consideration hereinafter called "unwrought aluminium".

Applicants have claimed that the goods produced and supplied by the Indian Producers are comparable to the goods being imported from various countries in terms of essential product characteristics, such as manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Applicants have claimed that the goods produced by the Indian Producers are like or directly competitive article to the imported article.

The domestic industry has claimed that the goods produced by them are directly competitive to the waste & scrap of aluminium. The claim is based on the product characteristics, functions & uses, pricing. The applicants have claimed that goods produced and supplied by them and waste & scrap being imported into India are technically and commercially substitutable.

The product is transacted either on weight basis (kg. or MT). The product is produced in wide range of thickness and width.

4. **Increased Imports**: Based on information compiled from DGCI&S for the period upto October,2008 and International Business Information Services (IBIS) for the subsequent period, applicants have shown that imports of the "said product" have increased in absolute terms as also in relation to production & consumption in India, as shown in the table below;

	Total Imports in MT	Imports per month in MT	Indian production in MT	Indian production per month in MT	Imports in relation to Indian production in %
2006-07	357378	29782	920666	76722	38.82
2007-08	395957	32996	1001179	83432	39.55
April-Sept-08	231793	38632	517314	86219	44.81
Oct-Dec-08	85170	28390	273854	91285	31.10
Jan-March-09	131858	43953	265119	88373	49.74

The information provided by the applicants shows that the "said product" is being imported from various countries. There is sufficient prima facie evidence of surge in imports justifying initiation of investigations.

5. **Serious Injury**: Applicants have claimed that the increased imports of "said product" have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of like or directly competitive article, i.e., "Unwrought Aluminium". Serious injury has been claimed on account of following factors relating to the performance of the applicant companies.

a) **Production**: Average Production per month of Unwrought Aluminium by the applicants increased from 86219 MT during April-Sept,2008 to 91285 MT in October-December,2008 and reduced to 88373 MT during Jan-09 to March-09 quarter as shown in the table below. However important factor is that inspite of huge capacity available production has declined while on the other hand the increasing demand has almost entirely been taken away by the increased import can be seen from increased share of imports in relation to production 49.74% during Jan-march,2009 from 31.10% during Oct-Dec,2008 quarter. Due to the increase imports one of the company namely M/s- Madras Aluminium Company Ltd. has shut down its plant since December,2008.

(In MT)

Period	Production for the period	Monthly production	Capacity	Demand in India
2006-07	9,20,666	76,722	12,14,000	10,24,259
2007-08	10,01,179	83,432	12,35,000	11,91,096
April-Sept-08	5,17,314	86,219	6,45,000	6,31,837
Oct-Dec-08	2,73,854	91,285	3,26,752	2,58,958
Jan-March-09	2,65,119	88,373	3,31,542	3,61,206

b) **Capacity Utilization**: The capacity utilization of the applicants declined from 83.81% in October – December,2008 quarter to 79.97% in Jan-March,2009 quarter as shown in the table below:

Period	Capacity Utilization (%)
2006-07	75.84
2007-08	81.07
April-Sept-08	80.20
Oct-Dec-08	83.81
Jan- March-09	79.97

Petitioner claimed that their capacity utilization has declined in a situation where the demand for the product has shown fair amount of increase. Had

1970 GI/09-3

the imports not surged , the capacity utilization of the domestic industry would not have declined.

c) **Share of applicants in domestic consumption**: Market share of applicants has fallen . Applicants had a market share of 67.11% during October-December,2008 quarter the same has declined to 63.50% in Jan-March,2009 quarter, as is evident from the following table.

Period	Share of applicants in Domestic demand (%)
2006-07	65.11
2007-08	66.76
April-Sept-08	63.31
Oct-Dec-08	67.11
Jan- March-09	63.50

d) Profitability on Domestic sales

Profit on domestic sales has deteriorated significantly as can be seen from the table below. The industry which was earning a profit of Rs.36849 per MT during April Sept-08 period was in losses amounting to Rs.4990/- per MT during Jan-March,2009 quarter.

Period	Profit/ (Loss) per MT on domestic sales	Indexed
2006-07	49,963	100
2007-08	31,224	62
April-Sept-08	36,849	74
Oct-Dec-08	5,149	10
Jan- March-09	(6,707)	(13)

e) Return on Investment

Return on investment followed the same trend as of Profitability as can be seen from the table below.

Period	ROI(%)	Indexed
2006-07	50.95	270
2007-08	40.04	213
April-Sept-08	46.15	245
Oct-Dec-08	6.14	33
Jan- March-09	(8.16)	(43)

f) Decline in domestic selling Price

Selling price in the domestic market has declined significantly in Jan-March,2009 resultantly the industry is in financial losses.

Period	Selling Price (Rs./MT)	Indexed
2006-07	124,654	100
2007-08	111,531	89
April-Sept-08	126,792	102
October-08	105,388	85
November-08	101,270	81
December-08	92,400	74
January-09	84,979	68
February-09	80,798	65
March-09	76,546	61

g) Decline in CIF price

Price Rs./MT

Year/ Period	Under HSN 7601	Under HSN 7602	Domestic Industry
2006-07	122,800	85,975	124,654
2007-08	109,380	81,738	111,531
April-Sept-08	123,178	81,256	126,792
Oct-08	133,358	101,312	105,388
Nov-08	128,184	93,702	101,270
Dec-08	126,012	78,154	92,400
Jan-09	107,460	69,498	84,979
Feb-09	85,174	60,065	80,798
March-09	74,223	56,590	76,546

It is seen that there is significant decline in the price of the imported product and goods sold by the domestic producers. Applicants claimed that they have been forced to reduce the import price in view of falling import price and LME prices. Thus recent sharp fall in import prices is causing surge in imports and also leading to pressure in domestic prices and thus , not only causing injury but also causing threat of serious injury.

h) Loss of Employment

Increased imports are leading to loss of employment. This loss of employment is inspite of the fact that the domestic industry does not have option to layoff employees overnight, given the labor laws in the Country.

1970 GI/09-4

Period	2007-08	April-Sept-08	Oct-08	Nov-08	Dec-09	Jan-09	Feb-09	Mar-09
No. of Employees	6,530	6,085	6,076	6,063	6,035	5,725	5,672	5,615

i) Global LME stocks have multiplied manifold during 2008-09 to the level of ore than 35 Lacs MT as against normal stock level of 6 to 9 Lacs MT as can be seen from table below.

Month	LME Global Stock in MT
Dec-2005	**636,814**
Dec-2006	**681,686**
Dec-2007	**930,572**
April-08	**1,031,392**
May-08	**1,051,946**
June-08	**1,078,356**
July-08	**1,107,333**
August-08	**1,140,949**
September-08	**1,270,985**
October-08	**1,456,917**
November-08	**1,650,023**
December-08	**2,043,337**
January-09	**2,810,825**
February-09	**3,226,700**
March-09	**3,477,300**

j) Falling LME prices – applicants have provided information with regard to the prices of the subject goods as reported by LME. The information shows very significant decline in the prices, far below the associated costs for a producer in India.

Decline in the prices can be seen in the table below –

Month	LME Month Average US$/MT
April-08	2,959.27
May-08	2,902.90
June-08	2,957.86
July-08	3,071.24
August-08	2,764.38
September-08	2,525.82
October-08	2,121.41
November-08	1,852.43

December-08	1,490.43
January-09	1,413.12
February-09	1,330.20
March-09	1,335.84

k) Applicants have provided information, which shows large scale production cuts in global market to the extent of approx. 72 lacs MT per annum (which is equivalent to more than five years of Indian production). The applicant has given evidence on the basis of information made available by (a) Reuters: CBI China, and (b) CRU.

l) In view of the falling LME prices, significant increase in global stocks as per LME and significant production cuts by various global producers, the applicants have claimed injury and also threat of serious injury, should safeguard duties not be imposed immediately.

6. The applicants have requested for imposition of safeguard duty on imports of said product for a period of two years. They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard Duty in the light of critical circumstances, leading to irreparable damage. Applicants have also claimed critical circumstances on the grounds of significant drop in profitability, return on investment, capacity utilization, selling prices, decline in the domestic prices (leading to severe financial losses) and loss of market share to imports at prices lower than domestic prices. Applicants have also argued that in a situation where demand for the said product has shown increase, current capacities with the domestic industry are becoming idle due to surge in imports.

7. The application has been examined and it is found that prima facie imports of the said product have increased significantly and have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of like or directly competitive product to justify initiation of investigations. Accordingly, it is considered to appropriate to initiate an investigation to determine whether imports of the said product have increased in such increased quantities and under such circumstances so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.

8. **Submission of information** – All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice at the address given below so that the same may be considered in final determination that may be made by the Director General.

The Director General (Safeguards),
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,

Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market,
New Delhi-110 001 India.
Telefax: 011-23741542/ 23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director General may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with rule 6(7) of the Rules.

9. All known interested parties are also being addressed separately. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.

[F. No. D-22011/17/2009]

S. S. RANA, Director General (Safeguards)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.